संख्या-128/2021/2496/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 नवम्बर 2021

विषयः- **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के 11-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता के मानक मद-1102-कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता तथा मानक मद-1103-कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-171/ज0जा0वि0/पूर्वदशम कक्षा 1 से 8/ 2021-22, दिनांक-27.08.2021 एवं पत्रांक-109/ज0जा0वि0/लेखा/2021-22, दिनांक-28.07.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796-11-1102-कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-21-छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन मद में **रू0-10.00 लाख** एवं लेखाशीर्षक-2225-02-796-11-1103-कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-21-छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन **मद में रू0-20.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र)** को अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गा के कल्याण-02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-11-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता-1101- कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-21 छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(4)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(6)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(8)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(9)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796-11-1102-कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-21-छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन मद एवं लेखाशीर्षक-2225-02-796-11-1103-कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-21-छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

<u>पृ0संख्या-128/2021/2496 (1)/26-3-2021 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म–बी0एम0–09 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : 81–समाज कल्याण (जनजाति कल्याण)

वित्तीय वर्ष : 2021–22

विभाग का नाम : निदेशालय जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(धनराशि लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेग	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के प अनुदान/ वि (2–5
1	2	3	4	5	6
2225 02 796 11 01 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण– 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण– 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–11–अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता–1101–कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता 21–छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	110.00	30.00	30.00	30.00	
योग :–	110.00	30.00	30.00	30.00	

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेग	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के उपलब्ध अनु विनियोग (6
7	8	9	10	11	12
2225 02 796 11 02 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण– 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण– 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–11–अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता–1102–कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता 21–छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	0.00	10.00	10.00	10.00	
2225 02 796 11 03 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण– 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण– 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–11–अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता–1103–कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता 21–छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	0.00	20.00	20.00	20.00	
योग :–	0.00	30.00	30.00	30.00	

स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :– प्रश्नगत योजना में केन्द्रांश में धनराशि प्राप्त होने के कारण बचत हुई है।

स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित योजना मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत योजना संचालित की जानी है योजना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में आय–व्ययक प्राविधान न हो पाने के कारण तथा एन0आई0सी प्राप्त कराये जा रहे बिल की सम्भावित धनराशि के दृष्टिगत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–83–ई–4–1500/दस–2021 दिनाक 12 अक्टूबर, 2021

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव
समाज कल्याण विभाग।

फूल चन्द यादव
अनु सचिव
वित्त विभाग।
ह0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सख्या-129/2021/2250(1)/26-3-2021 तददिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एव हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एव लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।